

19-02-25 पत्रावली पैरा दृष्टि। वकील वादी या वादी
संप्र उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर
भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वाक्य
अदम पैरवी - अदम हाजिरी में झी स्तर पर
खासि किया जाता है। पत्रावली बाद तयतीक
लक्ष्मील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(सुभाष-चन्द्र)
R.A.S.